कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक **(संरक्षण कक्ष)**

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

कमांक/एफ–05 /10–10/2012/ 2250 भोपाल, दिनांक 08/05/12

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
समस्त क्षेत्र संचालक , टाइगर रिजर्व,
समस्त संचालक, राष्ट्रीय उद्यान,
मध्यप्रदेश ।

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

विषय : **वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन के संज्ञान हेतु अनुश्रवण प्रणाली ।**

———

सूचना प्रोद्योगिकी शाखा के सहयोग से कटनी, सतना, पन्ना एवं दमोह वनमण्डलो में उत्खनन की पहचान सेटेलाइट इमेजरी के माध्यम से की गई । इसकी सूचना संबंधित वन मण्डलाधिकारियों को दी गई और इस जानकारी का भौतिक सत्यापन कराया गया । भौतिक सत्यापन की समीक्षा मे यह पाया गया कि सूचना प्रोद्योगिकी शाखा द्वारा प्रदाय की गई जानकारी लगभग 90 प्रतिशत सही है । विभिन्न वनमण्डलों ने जो जानकारी दी है उसमे उस दिनांक तक के समस्त खदानों के गड्डे पहचान कर लिये गये हैं चाहें यह उत्खनन कितना ही पुराना क्यों न हो। यह भी पाया गया कि काफी स्थलों हेतु अवैध उत्खनन के पी.ओ.आर. जारी किये गये हैं परन्तु कई स्थलों पर कोई पी.ओ.आर. इत्यादि भी जारी नहीं हुए हैं । इससे स्पष्ट है कि संबंधित क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती गई है ।

सेटेलाइट इमेजरी के, माध्यम से अवैध उत्खनन ज्ञात करने का यह प्रथम प्रयास है। सेटेलाइट इमेजरी के माध्यम से किये गये इस प्रयास में प्राप्त किये गये डॉटा, बेस लाइन डॉटा के रुप में उपयोग किया जावेगा एवं इसके बाद के हुये अवैध उत्खनन के प्रयासों की समीक्षा प्रत्येक तिमाही में एक बार की जावेगी। यह समीक्षा सेटेलाइट इमेजरी से प्राप्त डॉटा के आधार पर होगी । अतः आप क्षेत्र का भ्रमण करके पी.ओ.आर. अपडेट कर लें । यदि नये क्षेत्रों में अवैध उत्खनन के प्रयास होते हैं और उसके पी.ओ.आर. जारी नहीं हुए हैं तो यह मानकर कि संबंधित कर्मचारी इसके प्रति उदासीन हैं , उनके विरुध्द कठोर कार्यवाही की जावेगी । यहॉ यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि चूँकि अवैध उत्खनन के लिये जारी पी.ओ.आर. की एन्ट्री एफ.ओ.एम.एस. में भी होती है और उसमें कक्ष कमॉक भी दिया जाता है, इसलिये प्रत्येक तिमाही के अन्दर सेटेलाइट इमेजरी और एफ.ओ.एम.एस. में दी गई जानकारी का भी विष्लेषण करके यह जानकारी ऑनलाइन ही समस्त को प्रेषित की जावेगी कि कितने अवैध उत्खनन के प्रकरणों में कार्यवाही नहीं की गई है ।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सजग कर दिया जाय कि अवैध उत्खनन के प्रयासों का वह तत्काल संज्ञान लें और आवश्यक कार्यवाही करें ।

P.T.O

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं वन मण्डलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में उन समस्त संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान लें जहाँ अवैध उत्खनन के प्रयास अधिक होते हैं। आम तौर पर इन क्षेत्रों में वन चौकियॉ भी स्थापित की गई हैं । वन चौकियों में पूर्ण सुविधायें भी उपलब्ध हैं और वाहन भी उपलब्ध हैं . इसलिये इन चौकियों को और अधिक सुदृढ़ करके अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने की कार्यवाही की जा सकती है । **अब अवैध उत्खनन को छुपाना , उस पर कार्यवाही नहीं करना अथवा उसे नियंत्रण के बाहर बताना संभव नहीं रहेगा** . क्योंकि सेटेलाइट की ऑख सारे अवैध उत्खनन के ऊपर अपनी नजर रखेगी और यह पहले ही प्रमाणित हो चुका है कि सेटेलाइट की जानकारी लगभग शत–प्रतिशत सही एव इम्पार्शियल होती है ।

जिन वनमण्डलों हेतु अभी सेटेलाइट इमेजरी की प्रोसेसिंग नहीं की गई है वहॉ यह कार्यवाही प्रारंभ है और ऐसे वनमण्डलों को शनैः–शनैः इसकी जानकारी प्रेषित की जावेगी और यह वनमण्डलाधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक का दायित्व होगा कि वह 2 सप्ताह में इसका ग्राउन्ड सत्यापन करके रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करेंगें, परन्तु जब तक सेटेलाइट इमेजरी से प्राप्त जानकारी आपको नहीं भेजी जाती है तब तक आप एवं आपके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी अवैध उत्खनन के क्षेत्रों की पहचान कर लें एवं जानकारी एकत्रित करलें तथा अगर इन क्षेत्रों में कार्यवाही नहीं की जा सकी है तो शीघ्र कार्यवाही कर ले । रिपोर्टिंग करने के लिये भी शीघ्र ही साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है ताकि भविष्य मे आप ऑनलाइन जानकारी भर सके एव किसी प्रकार के प्रतिवेदन आपको प्रेषित नहीं करना पड़े।

(रमेश के0दवे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

कमांक/एफ–05 /10–10/2012/ 2251 भोपाल, दिनांक 08/05/12

प्रतिलिपिः–

1– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्यप्रेश, भोपाल ।
2– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रोद्योगिकी) मध्यप्रदेश, भोपाल
3– समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

15